



तम्बाकू बोर्ड TOBACCO BOARD

(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय)

वाणिज्य विभाग

(Government of India, Ministry of Commerce and Industry)

Department of Commerce

गुण्टूर / GUNTUR

परूप / FORM - 14



(नियम 34 घ (5) और 35 (5) देखिए) / (See Rules 34D (5) and 35 (5))

(वर्जीनिया तम्बाकू के प्रसंस्करणकर्ता के रूप में तम्बाकू या तम्बाकू उत्पादों के निर्यातकर्ता के रूप में या तम्बाकू के पैकर अथवा नीलामकर्ता अथवा डीलर के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र)

Certificate of registration as Processor or Manufacturer of Virginia Tobacco or as Exporter of Tobacco or Tobacco Products or as Packer or Auctioneer of, or Dealer in Tobacco

पंजीकरण संख्या:

REGISTRATION No.

एक वर्ष के लिए विधिमान्य

Valid for One Year

से

From

तक

To

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स / श्री

को तम्बाकू बोर्ड के पास

के रूप में तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 12 या 11 क और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रजिस्टर किया गया है। यह प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए, जो समय-समय पर तम्बाकू बोर्ड द्वारा अधिरोपित की जाए, जारी किया जाता है :-

This is to certify that

has been registered with the Tobacco Board as MANUFACTURER OF VIRGINIA TOBACCO

under section 12 or 11A of the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975), and the rules made there under. This certificate is issued subject to the following conditions and subject to such other conditions as may be imposed by the Tobacco Board from time to time:-

1. यह कि इस प्रमाणपत्र का धारक तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के उपबन्धों और उसके अधीन बनाए गए नियमों का पालन करेगा।

That the holder of this certificate shall abide by the provisions of the Tobacco Board Act, 1975 and the rules made there under.

2. यह कि इस प्रमाण पत्र का धारक ऐसे रजिस्टर रखेगा और तम्बाकू बोर्ड को ऐसी विवरणियाँ प्रस्तुत करेगा, जो उसके द्वारा यथास्थिति रखे जाने या प्रस्तुत किये जाने के लिए अपेक्षित हैं।

That the holder of this certificate shall maintain such registers and submit such returns to the Tobacco Board as are required to be maintained or submitted by him as the case may be.

3. यह कि इस प्रमाणपत्र का धारक तम्बाकू बोर्ड अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विशिष्टित: उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में समय-समय पर तम्बाकू बोर्ड द्वारा जारी किए गये या जारी किये जाने वाले, सभी विनियमों, निर्देशों, आदेशों उपबन्धों, निबधनों और शर्तों का पालन करेगा।

That the holder of this certificate shall comply with all regulations, directions, orders, stipulations, terms and conditions issued or which may be issued by the Tobacco Board from time to time in pursuance of the provisions of the Tobacco Board Act and the rules made there-under, and in particular Section 8 of the said Act.

PARTICULARS OF MANUFACTURING UNITS COVERED BY THIS CERTIFICATE:

No. of Unit /s : 1

Product List:

स्थान / Place:

दिनांक / Date:

सचिव / Secretary

रजिस्टर करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of the Registering Authority